न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:–289/2020 (GCMS No. 2020/00295) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

सूरजचन्द पुत्र अडीसालचन्द जाति राजपूत निवासी भागीरथपुरा (बगीधा) तहसील सपोटरा जिला करौली (मृतक)

1/1 राजेन्द्र दत्तक पुत्र श्री सूरजचन्द जाति राजपूत निवासी भागीरथपुरा (बगीधा) तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

1/2 भँवरवाई
1/3 गायत्रीदेवी
1/4 पार्वतीदेवी
1/5 मोहन कवर
1/6 प्रमोद कँवर

} पुत्रीयान सूरजचन्द जाति राजपूत निवासी भागीरथपुरा (बगीधा) तहसील सपोटरा जिला करौली

.....अपीलान्टान/रेस्पोडेन्टान 2/1 लगा. 2/6

बनाम

1. श्रीमती बबली पत्नि श्री भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी भागीरथपुरा (बगीधा) तहसील सपोटरा जिला करौली।

.....रेस्पोडेन्ट/अपीलांट

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सपोटरा जिला करौली राज0।

.....रेस्पोडेन्ट–1

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 27.05.2019 अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली अपील संख्या 39/2013 उनवानी श्रीमती बबली बनाम राजस्थान सरकार व अन्य विरूद्व आदेश तहसीलदार सपोटरा नामांतरकरण संख्या 1107 दिनांक 25.06.2012 वाके ग्राम भागीरथपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली।

उपस्थिति:–

1. अपीलान्ट की ओर से श्री विजयसिंह कुंतल वकील
2. रेस्पो. सं. 1 प्रमोद कुमार शर्मा, वकील

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नि र्ण य

दिनांक : 10.07.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 27.05.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 900/242 ग्राम बगीधा भागीरथपुरा तहसील सपोटरा का नामांतरकरण संख्या 1107 दिनांक 25.06.2012 को तहसीलदार सपोटरा द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश दिनांक 25.06.2012 के विरूद्व अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के यहॉ अपील पेश की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2019 से नामांतरकरण संख्या 1107 दिनांक 25.06.2012 को निरस्त कर दिया गया तथा श्रीमती बबली के हक में दिनांक 25.11.2011 को कराई गई अवैध शून्य वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल की कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये। जिससे व्यथित होकर यह अपील अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री प्रमोद कुमार शर्मा वकील उपस्थिति। रेस्पो. संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।
3. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में तमाम अशुद्वियॉ है। जिससे लगता है कि निर्णय व आदेश को स्वयं ना लिखकर स्टेनो के द्वारा टाईप को हस्ताक्षर कर जारी कर दिया है। मृतक सूरजचंद, श्योराजसिंह व पेपकंवर का दत्तक पुत्र था तथा मौरूसी जायदाद पर दत्तक पुत्र ही मान्य होता है। श्योराजसिंह की हिस्सा आराजीयात का दाखिला खारिज मृतक श्योराजसिंह के दत्तक पुत्र की हैसियत से सूरजचंद दर्ज हुआ। जिस पर रेस्पोडेन्ट/अपीलांट बबली का कोई एतराज नहीं है। बबली अपना आधार सूरजचंद की दत्तक माता पेपकंवर की तथाकथित वसीयतनामा को लेकर आई जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि पेपकंवर पत्नि श्योराजसिंह के दत्तक पुत्र सूरजचंद व उसकी संतानों का कोई हवाला नहीं दिया है और न ही पेपकंवर अपने दत्तक पुत्र व उसकी सन्तानों को वसीयत क्यों नहीं करना चाहती। वसीयतनामा कूटरचित तरीके से पेपकंवर की आराजीयात को हडपने के उद्देश्य से पेपकंवर को धोखे में रखकर निष्पादित कराया हुआ है। पेपकंवर की सेवा उसके दत्तक पुत्र द्वारा ही की जाती रही तथा मृत्यु दिनांक 11.04.2012 को होने पर सूरजचंद द्वारा ही दाह संस्कार, क्रियाकर्म, बारह ब्राहम्ण भोज, गंगास्नान व पगडी रश्म अदा की गई। अचल सम्पत्ति के संबंध में दीवानी न्यायालय में विधि अनुसार विधि एवं साक्ष्य के जटिल प्रश्नों का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

निस्तारण होकर लैटर ऑफ प्रौवेट जारी कराया जावे बिना लेटर ऑफ प्रौवेट के जारी किये हुये सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयतनामा को विश्वसनीय साक्ष्य मानने के आधार पर निर्णय लिया गया। वसीयतनामा पर कोई भी गवाह पेपकंवर के समाज का नहीं है जबकि पेपकंवर व बबली दोनों ही ग्राम बगीधा भागीरथपुरा की निवासी हैं। वसीयतनामा का स्टाम्प 20.10.2011 को खरीदा गया व उक्त स्टाम्प पर वसीयतनामा की लिखा पढी दिनांक 25.10.2011 को 5 दिन बाद की जाकर पंजीकृत कराई है। पेपकंवर 75 वर्षीय वृद्वा थी जो बीमार रहती व बिना सहारे के चल फिर नहीं सकती थी ऑखों से दिखाई भी नहीं देता था। वृद्वावस्था पेंशन कराने के बहाने से कार्यवाही की गई है। वसीयतनामा में मात्र यह अंकित कर देने से कि स्वयं की अर्जित जमीन है पर्याप्त नहीं है। वसीयत में यह स्पष्ट अंकित नहीं किया है कि कब व किससे किस आधार पर अर्जित हुई। ग्राम समाज के किसी व्यक्ति के बिना उपपंजीयक कार्यालय में वसीयतनामा कराया। डीडराईटर भी मीना जाति का था। पेपकंवर की मृत्यु दिनांक 11.04.2012 के बाद नामांतरकरण होने व अपील प्रस्तुत करने तक की अवधि में कभी भी वसीयतनामा को प्रकट नहीं किया। प्रश्नगत नामांतरकरण 25.06.2012 को हुआ तथा पेपकंवर की मृत्यु दिनांक 11.04.2012 को हुई। बबली कुटुम्बी महिला है जिसे प्रारम्भ से ही जानकारी थी उसके बावजूद लगभग एक वर्ष बाद म्याद बाहर पेश की गई है। आराजी खसरा नम्बर 900/242 रकवा 36 बीघा 05 विस्वा पेपकंवर के स्वयं की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी नहीं थी उसे पूर्वजों से प्राप्त भूमि का भाग थी जिसपर दत्तक पुत्र सूरजचंद प्रारम्भ से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था। बबली का उससे कोई सरोकार नहीं रहा है और न उसका कब्जा काश्त है। सूरजचंद की मृत्यु के बाद अपीलांट सं. 1/1 राजेन्द्र काबिज रहकर काश्त कर रहा है। बबली का दिनांक 06.02.2013 को खेतों को जोतने बोने जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। पेपकंवर की मृत्यु दिनांक 11.04.2012 के बाद तथाकथित 06.02.2013 को 10 माह बाद 2 बार फसल के लिए जुताई बुबाई सूरजचंद द्वारा की जाती रही है। बबली द्वारा कोई वसीयतनामा का प्रयोग कर आराजी पर कब्जा प्राप्त न करने का कोई कारण अभिकथित नहीं किया है। पेपकंवर के नाम आराजी की जो खातेदारी हुई है वह सूरजचंद द्वारा अपनी माता के नाम कराई गई जो पुश्तैनी भूमि में से ही थी तथा अपनी माता के नाम दिखावटी तौर पर तत्कालीन परिस्थितियों में निर्धारित सीमा में कृषि भूमि रखे जाने के उद्देश्य से कराई जिसमें किसी प्रकार का प्रतिफल का लेन देन नहीं हुआ। वसीयत निरस्त कराने का दावा सिविल कोर्ट में चल रहा है। आज तक किसी भी न्यायालय में वसीयतनामा के आधार पर खातेदारी की घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा, कब्जा प्राप्ती के अनुतोष हेतु कोई कार्यवाही नहीं की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

गई है। उपखण्ड अधिकारी सपोटरा को सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होते हुये भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट/अपीलांट बबली को नामांतकरकरण की जानकारी पूर्व से ही थी जिसकी नकल प्राप्त करने के 8 माह बाद अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 27.05.2019 निरस्त फरमाया जावे तथा नामांतकरकरण संख्या 1107 दिनांक 25.06.2012 को यथावत रखा जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त यथा आरआरटी 2021(II)पेज 1250, आरआरटी 2021(II) पेज 851, डीएनजे 1998 (Raj) पेज 767 उद्धृत किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने दौराने बहस कथन किया कि अडीसालचन्द के तीन पुत्र सूरजचंद, लखराजचंद चतुर्भुजचंद थे। श्योराजचंद के वेवा पेपकंवर व पुत्र सूरजचंद गोद आया। वसीयत को लेकर सिविल कोर्ट में दावा चल रहा है। वसीयत को तहसीलदार/उपपंजीयक के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 25.11.2011 पंजीकृत कराया गया है। गवाही किसी के द्वारा भी कराई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि उसी गॉव के उसी जाति के गवाह हों। वसीयत की गई आराजी स्वअर्जित आराजी थी। स्वअर्जित आराजी की वसीयत कराई जा सकती है। पटवारी हल्का द्वारा गलत नामांतरकरण भरा गया। सरपंच द्वारा भी उसी आधार पर नामांतरकरण गलत स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में दफा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। माननीय न्यायालय की न्यायिक नजीरों को ससम्मान अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामांतरकरण संख्या 1107 दिनांक 25.06.2012 को मृतक मु. पेपकंवर लाऔलाद फौत का दत्तक पुत्र सूरजचंद के नाम दर्ज किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.05.2019 से नामांतरकरण संख्या 1107 को अपास्त कर दिया गया। नामांतरकरण के सजरा पर अंकित किया गया हैं कि श्योराजचंद एवं अडीसालचंद दो भाई थे। श्योराजचंद के कोई औलाद नहीं होने पर सूरजचंद को गोद लेना बताया है। श्योराजचंद व अडीसालचंद की मृत्यु हो गई। अडीसालचंद के तीन पुत्र सूरजचंद, लखराजचंद, चतुर्भुजचंद बताये हैं। सूरजचंद को पेपकंवर द्वारा गोद लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पेपकंवर पत्नि श्योराजचंद की मृत्यु उपरान्त विरासन का प्रश्नगत नामांतरकरण

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

1107 पटवारी द्वारा नामांतरकरण पर अंकित सिजरा के आधार पर भरा गया एवं स्वीकार किया गया है। सिजरा में सूरजचन्द को पेपकंवर का गोदपुत्र माना है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर ने वसीयत के आधार पर सुनवाई का अवसर नहीं देने का उल्लेख करते हुए, स्वअर्जित भूमि बताते हुये वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। अपीलांट द्वारा अपील में मुख्य तीन बिन्दुओं के आधार पर अतिरिक्त जिला कलक्टर के निर्णय को निरस्त करने की प्रार्थना की है। प्रथम अधीनस्थ न्यायालय ने म्याद के बिन्दु पर कोई निर्णय पारित नहीं किया। वसीयत के आधार पर बबली रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया एवं स्वअर्जित भूमि है वसीयतदार का हक था। यह नामांतरकरण संख्या 1107 ग्राम बगीदा दिनांक 25.06.2012 को स्वीकृत हुआ तथा इसके विरूद्व प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय की प्रथम आदेशिका दिनांक 05.03.2013 को दर्ज हुई, इसके साथ दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश हुआ। जानकारी तिथि से अन्दर मियाद शुमार करने डिले कन्डोन करने की प्रार्थना की गई। प्रथम अपील की बहस में 8 माह के विलम्ब से म्याद का एतराज भी लिया जाना अंकित किया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म्याद के बिन्दु पर अपना विवेचन कर निर्णय पारित नहीं किया। आरआरटी 2021(2) पेज 1250 में म्याद के संबंध में प्रतिपादित किया है कि " परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 41 नियम 3 ए अपील पेश करने में 3–1/2 वर्ष से भ्झी अधिक की देरी माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र राजस्व अपील अधिकारी ने धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित किये बिना आदेश दिनांक 14.11.2013 के विरूद्व स्थगन प्रदान किया धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्रको पहले निर्णित किये बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। आरआरटी 2021(2) पेज 851 में प्रतिपादित किया है कि परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 41 नियम 3 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 2012 अपील पेश करने में 2 वर्ष का बिलम्व धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित नहीं किया गया और लम्बित रखा तथा निर्णय का क्रियान्वयन स्थगित रखा निर्णीत आदेश संवहनीय नहीं है व अपास्त किया तथा धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र को पहले निर्णीत करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया।" इस प्रकार म्याद के बिन्दु पर सर्वप्रथम निर्णय किया जाना चाहिए था।

7. यह है कि खसरा नम्बर 900/242 जमाबंदी संम्वत 2072–75 सूरजचंद के स्थान पर राजेन्द्र सिंह पि. मु. श्योराजचंद, गायत्री, पार्वती, मोहनकंवर पुत्रियों के नाम भी दर्ज हो चुकी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्र प्रथम श्रेणी का वारिस होता है। सूरजचन्द गोद पुत्र होने से पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक एवं

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

तहसीलदार द्वारा प्रथम श्रेणी के वारिस के नाम नामांतरकरण स्वीकार किया। वसीयत की जानकारी तत्समय वसीयतग्राही द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत नहीं की गई। वसीयत के आधार पर निर्णय करने से पूर्व वसीयत के गवाहान, वसीयतग्रहीता एवं साक्ष्य की प्रथम दृष्टया जॉच अथवा सिविल न्यायालय से प्रोवेट करना आवश्यक होता है, इस बावत् सिविल न्यायालय में केस चल रहा है। जब तक सिविल न्यायालय द्वारा वसीयत बाबत् सक्षम आदेश पारित नहीं हो जाता तब तक वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में विधि एवं तथ्य की भूल की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें प्रकरण पर चस्पा होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलांट की अपील स्वीकार किये योग्य समझते है।

8. फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 27.05.2019 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापिस लौटाई जावें।
9. निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/7/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर